रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 139] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 1998/आषाढ़ 4, 1920
No. 139] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 1998/ASADHA 4, 1920

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1998

विषय :—झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले के संबंध में पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी.बी. आई/एस. पी.ई.) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के निहितार्थ की जांच करने के लिए एक अन्तरमंत्रालय (सरकारी स्तर) समिति का गठन।

संख्या फा. 8(2)/98-अनु. और सम्मे.—संसद सदस्यों को प्राप्त उन्मुक्ति/सुरक्षा के संबंध में श्री जी. एम. बनातवाला, संसद सदस्य और श्री कमल नाथ, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 12 जून, 1998 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2577 के दिए गए उत्तर के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले के संबंध में पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी.आई/एस.पी.ई) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के निहितार्थ की जांच करने के लिए एक अन्तरमंत्रालय (सरकारी स्तर) समिति का गठन किया जाए।

2. अन्तर्मंत्रालय समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

1. श्री एस. ए. टी. रिजवी,—अध्यक्ष
   सचिव,
   संसदीय कार्य मंत्रालय
   सदस्य
2. गृह सचिव
3. सचिव,
   विधि कार्य विभाग
4. सचिव, वित्तीय विभाग
5. सचिव,
   कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

3. अन्तरमंत्रालय समिति :—

(क) झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले के संबंध में पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी.आई/एस.पी.ई) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के निहितार्थ की जांच करेगी ;

(ख) अध्यक्ष द्वारा नियत किए गए समय और स्थान पर अपनी बैठक करेगी।

4. अन्तरमंत्रालय समिति का मुख्यालय कमरा नं. 8, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 होगा।

5. संसदीय कार्य मंत्रालय समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करेगा।

6. समिति अपने प्रतिवेदन को अपनी पहली बैठक की तारीख से 2 महीने की अवधि में अन्तिम रूप दे देगी।

देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 1998

Subject : Constitution of an Inter-Ministerial (Official Level) Committee to examine the implications of the Supreme Court Judgement delivered in the case of P. V. Narasimha Rao Vs. State (CBI/SPE) regarding JMM Bribery Case.

No. F. 8(2)/98-R&C.—In pursuance of the answer given to the Lok Sabha Unstarred Question No. 2577 by Shri G. M. Banatwalla, M. P. and Shri Kamal Nath, M. P. on the 12th June, 1998 regarding immunity/protection enjoyed by MPs, it has been decided to constitute an Inter-Ministerial Committee (Official Level) to examine the implications of the Supreme Court Judgement delivered in the case of P. V. Narasimha Rao Vs. State (CBI/SPE) reg. JMM bribery case.

2. The Inter-Ministerial Committee will consist of the following :—

1. Shri S. A. T. Rizvi, —Chairman
   Secretary,
   Ministry of Parliamentary Affairs.

   Members :
2. Home Secretary
3. Secretary,
   Department of Legal Affairs.
4. Secretary,
   Legislative Department.
5. Secretary,
   Department of Personnel & Training.

3. The Inter-Ministerial Committee shall :

(a) Examine the implications of the Supreme Court Judgement delivered in the case of P. V. Narasimha Rao Vs. State (CBI/SPE) regarding JMM bribery case ;

(b) Hold its sittings at such times and such places as may be determined by the Chairman.

4. The Headquarters of the Inter-Ministerial Committee will be Room No. 8, Parliament House, New Delhi-110001.

5. The Ministry of Parliamentary Affairs shall provide secretarial assistance to the Committee.

6. The Committee will finalise its Reports within a period of 2 months from the date of its first sitting.

D. R. TIWARI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998